"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 71] रायपुर, बुधवार, दिनांक 4 अप्रैल 2012—चैत्र 15, शक 1934

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 4 अप्रैल 2012 (चैत्र 15, 1934)

क्रमांक-5707/वि.स./विधान/2012.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 6 सन् 2012) जो दिनांक 4 अप्रैल, 2012 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 6 सन् 2012)

छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2012

छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 (क्र. 1 सन् 1982) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा-3 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 (क्रमांक 1 सन् 1982) की धारा 3 की उपधारा (1) के परन्तुक के खण्ड (दो) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(तीन) घरेलू बीपीएल कनेक्शन उपभोक्ता को विक्रय या प्रदाय की गई हो.

(चार) निःशुल्क विद्युत उपभोग की विहित सीमा तक पात्र कृषि सिंचाई पंप कनेक्शन उपभोक्ता को कृषक जीवन ज्योति योजना अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित समान प्रयोजन की किसी योजना के अंतर्गत विक्रय या प्रदाय की गई हो.

(पांच) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नीति के अंतर्गत पात्र इकाई/उद्यमी/विकासकर्ता को विक्रय या प्रदाय की गई हो."

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम 1981 (क्रमांक 01 सन् 1982) में किसी उपभोक्ता द्वारा उपभोग (खपत) की गई विद्युत ऊर्जा पर ऊर्जा विकास शुल्क (उपकर) के उद्ग्रहण के लिए प्रावधान है. तदानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित द्वारा समस्त विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की गई बिजली पर प्रतिमाह ऊर्जा विकास प्रभार अधिरोपित एवं वसूल किया जा रहा है.

ऊर्जा विकास उपकर के एवज में संग्रहित राजस्व का उपयोग मुख्यतः ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए किया जाता है, जिसमें सम्मिलित है नवीनीकरण योग्य ऊर्जा स्रोतों के विकास, ऊर्जा संरक्षण की प्राप्ति हेतु गतिविधियां, उन्नत तकनीकी का अन्तरण, ऐसी बेहतर उपभोक्ता सुविधाएं जैसी उपयुक्त समझी जाएं, उपलब्ध कराना, उपस्करों का परीक्षण एवं डिजाईन, विभिन्न टूल एवं प्लांट का उन्नयन कर दक्षता में वृद्धि, कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण, सुरक्षा के उपकरण से संबंधित गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिये परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना, [illegible] ग्रामों में गैरपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के द्वारा बिजली उपलब्ध कराना इत्यादि.

राज्य शासन द्वारा घरेलू बीपीएल उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 30 यूनिट तक बिजली निःशुल्क प्रदाय की जा रही है. इसी प्रकार 05 हार्स पॉवर कृषि सिंचाई पम्प कनेक्शन वाले कृषकों को "कृषक जीवन ज्योति योजना" के अंतर्गत प्रति वर्ष 7500 यूनिट तक विद्युत के उपभोग पर विद्युत प्रभार के भुगतान से छूट प्राप्त है. छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 में इन दोनों वर्गों के उपभोक्ताओं को ऊर्जा विकास प्रभार के भुगतान से छूट दिये जाने संबंधी प्रावधान न होने के कारण इन उपभोक्ताओं के द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत की खपत पर, उपकर वसूल किये जाने हेतु प्रतिमाह विद्युत देयक तैयार एवं जारी किये जाते हैं. इन परिस्थितियों के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित द्वारा उपभोक्ताओं की विशाल जनसंख्या से उपकर संग्रहित किए जाने हेतु विद्युत देयक तैयार करने और इसे जारी करने के लिए अपने स्वयं के स्रोतों से राशि व्यय किया जाना अपेक्षित है जिससे विद्युत क्षेत्र के प्रशासनिक व्यय में वृद्धि हो रही है. अतएव, बीपीएल उपभोक्ता एवं कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 05 हार्स पॉवर तक के कृषक पम्प कनेक्शन वाले दोनों उपभोक्ताओं को अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित समान प्रयोजन की किसी योजना के अंतर्गत ऊर्जा विकास प्रभार (उपकर) के भुगतान से छूट दिया जाना प्रस्तावित है.

इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य की विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नीति, 2010 में इस बात का उल्लेख है कि पात्र इकाई/उद्यमी/विकासकर्ता ऊर्जा विकास उपकर के भुगतान से छूट के पात्र होंगे. तदानुसार विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना करने वाले उद्यमियों को, ऊर्जा विकास उपकर के भुगतान से छूट दिया जाना प्रस्तावित है.

उपरिवर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 का और संशोधन आवश्यक है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
दिनांक 31 मार्च, 2012

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

उपाबंध

छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 (क्रमांक 1 सन् 1982) की धारा 3 की उपधारा एक का सुसंगत उद्धरण—

* * * * * * * * * * * * * *

3 (1) धारा-4 में विशिष्टीकृत अपवादों के अध्ययीन रहते हुए विद्युत ऊर्जा का प्रत्येक वितरक विहित समय पर और विहित तरीके से कुल विद्युत ऊर्जा, जो किसी उपभोक्ता को बेची गई हो अथवा उसके द्वारा स्वयं या उसके कर्मचारियों द्वारा उपभुक्त की गई हो, पर प्रतिमाह, दस पैसा प्रति यूनिट की दर से ऊंर्जा विकास उपकर का भुगतान करेगा; **ऊर्जा विकास उपकर को अधिरोपित करना.**

परन्तु ऐसी किसी विद्युत ऊर्जा पर कोई उपकर भुगतान देय नहीं होगा, जो —

(एक) (क) भारत सरकार को उपभुक्त की जाने हेतु प्रदाय की गई हो या बेची गई हो;

अथवा

(ख) किसी रेल कंपनी के, जो भारत सरकार द्वारा प्रशासित की जाती हो, संनिर्माण, अनुरक्षण या प्रचालन में उपभुक्त की जाने हेतु भारत सरकार या किसी रेल कंपनी द्वारा;

(दो) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 (सन् 1961 का क्रमांक 17) के अधीन पंजीकृत किसी ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी सोसाइटी को थोक में बेची या प्रदाय की गई हो.

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के निमित्त "माह" से अभिप्रेत है ऐसी अवधि, जो विहित की जाए.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.